बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
:: संकल्प ::

पटना–15, दिनांक–

श्रीमती जयश्री ठाकुर (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 355/11, तत्कालीन भू–अर्जन पदाधिकारी, बांका सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय–आयुक्त कार्यालय, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के विरूद्ध पद का लाभ उठाते हुए अर्जित की जानेवाली भूमि के स्वरूप का परिवर्तन करने एवं अन्य अनियमितताओं के आधार पर स्वयं एवं परिवार के सदस्यों को करोड़ों रूपये का मुआवजा भुगतान किये जाने संबंधी आरोपों के लिए आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के पत्रांक–579 दिनांक–28.11.2013 द्वारा समाहर्त्ता, बांका के पत्रांक–174 दिनांक–12.11.2013 द्वारा साक्ष्य सहित आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' विभाग को उपलब्ध कराया गया।

2. श्रीमती ठाकुर के विरूद्ध समर्पित साक्ष्यों एवं प्रतिवेदित आरोप की गंभीरता को देखते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 272 दिनांक 08.01.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी जिसमें विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग–सह–अपर विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक 1019 दिनांक 05.09.2016 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित सभी प्रमाणित आरोपों के लिए श्रीमती ठाकुर से विभागीय पत्रांक 13194 दिनांक 27.09.2016 द्वारा अभ्यावेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। उक्त के आलोक में श्रीमती ठाकुर के द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 16.12.2016 समर्पित किया गया।

5. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं समर्पित अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्रीमती ठाकुर द्वारा गम्भीर वित्तीय अनियमितता, धोखाधड़ी, जालसाजी, पद के दुरूपयोग एवं साजिश कर करोड़ों रूपये का नाजायज लाभ अपने एवं परिजनों के लिए अर्जित करने का आरोप प्रमाणित है।

साथ ही श्रीमती ठाकुर द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में उन्हीं तथ्यों का पुनः उल्लेख किया गया है, जिसे उनके द्वारा पूर्व में भी रखा गया था।

6. वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती ठाकुर के अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 के संगत प्रावधान के तहत '**सेवा से बर्खास्तगी**' का दण्ड अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

7. विभागीय पत्रांक 4602 दिनांक 19.04.2017 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से श्रीमती ठाकुर के विरूद्ध विनिश्चित सेवा से बर्खास्तगी के दंड प्रस्ताव पर परामर्श की मांग की गयी। आयोग के पत्रांक 678 दिनांक 28.06.2017 द्वारा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित सेवा से बर्खास्तगी के दंड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी।

8. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती जयश्री ठाकुर (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 355/11, तत्कालीन भू–अर्जन पदाधिकारी, बांका सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय–आयुक्त कार्यालय, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 के संगत प्रावधानों के तहत **सेवा से बर्खास्तगी का दंड** दिये जाने का निर्णय लिया गया।

(कृ0पृ0उ0)

1450 Sadan Kr. Jha/Sec- 2.

9. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्रीमती जयश्री ठाकुर (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 355/11, तत्कालीन भू–अर्जन पदाधिकारी, बांका सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय–आयुक्त कार्यालय, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 के संगत प्रावधानों के तहत **'सेवा से बर्खास्तगी का दंड'** अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेश :– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति श्रीमती जयश्री ठाकुर (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 355/11, तत्कालीन भू–अर्जन पदाधिकारी, बांका सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय–आयुक्त कार्यालय, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर एवं सभी संबंधितों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(गुफरान अहमद)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–2/आरोप–01–93/2013 –सा0प्र0–10955 /पटना, दिनांक–25-8-17

स्पीड पोस्ट

फैक्स

ई–मेल

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग–सह–अपर विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना/आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/जिला पदाधिकारी, बांका/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को दिनांक 18.08.2017 को आहुत मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिए गये निर्णय के संबंध में/श्रीमती जयश्री ठाकुर (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 355/11, सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय–आयुक्त कार्यालय, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/संयुक्त सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12, 14 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

1451 Sadan Kr. Jha/Sec- 2.